झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–490 वर्ष 2017

उमा शंकर शर्मा, पे0–केदार शर्मा, ग्राम एवं डाकघर–कामता, थाना–हिलसा, जिला–नालंदा (बिहार)।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–धुर्वा, रांची के माध्यम से।
2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची।
3. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, डाकघर एवं एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची।
4. सिविल सर्जन/गढ़वा, साकिन और डाकघर–गढ़वा, झारखण्ड।
5. जिला चिकित्सा अधिकारी, टीबी कंट्रोल, साकिन और डाकघर–गढ़वा, झारखण्ड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री राम आश्रय सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री राकेश कुमार शाही, ए0ए0जी0 का जे0सी0

3 / 19.06.2017 जब याचिकाकर्ता को सेवानिवृत लाभ का भुगतान नहीं किया गया था, तो उसने इस न्यायालय से संपर्क किया।

2. याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें बिहार राज्य में दिनांक 19.05.1982 को नियुक्त किया गया था और उन्हें 01.04.1988 से उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था। जब कई समान रूप से स्थित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, तो रिट याचिकाएं पटना उच्च न्यायालय में दायर की गईं। सिविल अपील नंबर 10758 / 1995 और कंटेम्प्ट (सिविल) नंबर 270 / 71 / 1997 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मामले समाप्त हुए। पूर्वोक्त निर्णयों द्वारा पेंशन लाभ हेतु निर्विवाद अवधि की गणना हेतु एक निर्देश जारी किया गया था। दिनांक 16.03.2000 के पत्र जिसके द्वारा याचिकाकर्ता और अन्य को सेवा में बहाल किया गया था, में निम्नलिखित शर्त शामिल हैं:

> 'माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय यक्ष्मा कार्यक्रम पूर्व में कार्यरत कर्मियों की कार्यावधि की सेवा को पेंशन प्रदायी मानी जायेगी। किन्तु पूर्व के कार्यावधि का सत्यापन जिला यक्ष्मा पदाधिकारी / सिविल सर्जन करेंगे। वे यह सूचना क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ के माध्यम से स्वास्थ्य निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। स्वास्थ्य निदेशालय के अनुमोदन / आदेश के बाद ही संबंधित कर्मियों को पूर्व की कार्यावधि सेवा से पेंशन प्रदागी माना जायेगा।'

3. याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 25.10.2007 को उन्हें कैडर विभाजन के बाद बिहार राज्य से मुक्त कर दिया गया और वह दिनांक 01.11.2017 को झारखण्ड सरकार में योगदान किए। गढ़वा में तैनात थे जहां से वह दिनांक 31.07.2016 को

सेवानिवृत हुए थे। उन्होनें दावा किया है कि उनके दो सहयोगियों, राजेंद्र कुमार और श्याम नंदन प्रसाद को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में पेंशन लाभ दिया गया है, हालांकि, उन्हें समान लाभ से वंचित किया गया है।

4. जैसा कि ऊपर देखा गया है, पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए केवल सेवा की अविवादित अवधि की गणना की जानी चाहिए। क्या 19.05.1982 और 30.04.1993 के बीच की अवधि, जिसके दौरान याचिकाकर्ता का दावा है कि वह बिहार राज्य के अधीन कार्यरत था, झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि है या नहीं, याचिकाकर्ता द्वारा निवेदन नहीं किया गया है। श्री राकेश कुमार शाही, राज्य के विद्वान वकील कहते हैं कि झारखण्ड पेंशन नियमों के तहत एक सरकारी कर्मचारी की सेवा की पेंशन योग्य अवधि 10 वर्ष है। तद्नुसार, प्रमुख निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, झारखण्ड सरकार को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ के भुगतान के लिए आवश्यक आदेश छह सप्ताह की अवधि के भीतर पारित करें, यदि इन लाभों का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि, अभिलेखों के सत्यापन के बाद, 19.05.1982 और 30.04.1993 के बीच की निर्विवाद सेवा अवधि को भी पेंशन और अन्य सेवानिवृत लाभों के भुगतान के लिए गिना जाएगा।

5. रिट याचिका का निपटारा, उपरोक्त निर्देशों के साथ किया जाता है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)